



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

आम सूचना

क्रमांक: F-JDA/Zone 12/2026/D-157

आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन क्रमांक 276058 दिनांक 06/01/2026 को निम्नांकित भूखण्ड का Sub Division and Reconstitution जारी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं

क्र.सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी/लीजधारक का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स./निजी खातेदारी/जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
---------	--------------	--------------------------	---------------	------------------	--	--------------	-------------------------------	----------------------------------



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

1	Rekha Yadav W/o AJIT KUMAR YADAV	भूखंड सं. एच 16 की लीजडीड श्री प्रहलाद सिंह भूखंड सं. एच 17 की लीजडीड श्री फूलचंद	16, 17	266.66 SQ. YARD, 266.66 SQ. YARD	Private	MANGLAM CITY VISTAR Sector/Block- H	Sub Division and Reconstit ution	भूखंड सं. एच 16 क्षेत्रफल 266.66वर्गगज की लीजडीड श्री प्रहलाद सिंह पुत्र श्री राजूराम तथा भूखंड सं. एच 17 क्षेत्रफल 266.66वर्गगज की लीजडीड श्री फूलचंद पुत्र श्री रामलाल के पक्ष में जारी कि गई है। जिसके पश्चात आवेदक द्वारा एच 16 कुल क्षेत्रफल 266.66वर्गमीटर में से दक्षिणी हिस्सा क्षेत्रफल 53.33 वर्गगज तथा भूखंड सं. एच 17 कुल क्षेत्रफल 266.66वर्गगज में से उत्तरी हिस्सा क्षेत्रफल 53.33वर्गगज कुल क्षेत्रफल 106.66वर्गगज के पुनर्गठन एवं उपविभाजन हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया हैं। जिससे प्रकरण में एक से अधिक बार रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से बेचान के दस्तावेजो अनुसार विज्ञप्ति का प्रकाशन करवाया जाना है।
---	--	--	--------	---	---------	---	--	---



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में Sub Division and Reconstitution जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना की प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर jda.rajasthan.gov.in पर जाकर Objection module के माध्यम से आपत्ति online सबमिट करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड की नियमानुसार कार्यवाही कर दी जावेगी।

प्रतिलिपि:-

1. Rekha Yadav W/o AJIT KUMAR YADAV को उक्त विज्ञप्ति 8 फोन्ट साईज में राज्य स्तरीय समाचार पत्र में से एक समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित करवाकर प्रति अपलोड करें।
2. रक्षित पत्रावली।

नोट :-

कृपया उक्त विज्ञप्ति के प्रारूप का राज्य स्तरीय समाचार-पत्र (प्रतिदिन प्रकाशन न्यूनतम 50,000 प्रतियाँ) में प्रकाशन करावे | प्रकाशन दिनांक से 7 दिवस पचशत समाचार-पत्र के जिस पेज पर विज्ञप्ति प्रकाशित हुयी हैं, उस पूरे पेज की स्पष्ट स्कैन प्रति, जिसमे प्रकाशन की तारीख, समाचार-पत्र का नाम, पेज संख्या व विज्ञप्ति दिखाई दे, ऑनलाइन अपलोड करें तथा समाचार-पत्र की भौतिक (physical) प्रति कार्यालय मे प्रस्तुत ना करें |